न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 29/2021

जी.सी.एम.एस प्रकरण संख्या :– 2021/133

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सवीया उर्फ सवाराम पुत्र श्री रूपाराम, जाति मारू कुम्हार, निवासी ग्राम बालराई, तहसील रानी, जिला पाली जरिये आम मुख्तियार बालाराम प्रजापति पुत्र कनाजी प्रजापति, जाति मारू कुम्हार निवासी ग्राम बालराई, तहसील रानी, जिला पाली (आधार न. 230501168453)		1. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति राजपुत, निवासी ग्राम बालराई, तहसील रानी, जिला पाली 2. अनिल प्रसाद पुत्र श्री फुलचंद, जाति जांगीड, निवासी इन्द्रा कॉलोनी विस्तार, पाली, जिला पाली 3. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री मालमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी 236 बापू नगर विस्तार, पाली जिला पाली 4. दिलीपसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी दुर्गा कॉलोनी रामदेव रोड, पाली 5. रतनसिंह पुत्र श्री केशरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बालराई तहसील रानी, जिला पाली 6. गणपतसिंह पुत्र श्री केशरसिंह, जाति राजपुत, निवासी ग्राम बालराई, तहसील रानी, जिला पाली 7. सोहनलाल पुत्र श्री चिमनाराम, जाति मारू कुम्हार, निवासी ग्राम बालराई तहसील रानी, जिला पाली 8. मुकनाराम पुत्र चिमनाराम (फौत)के का.मु. 8.1 पुखराज पुत्र स्व. मुकनाराम 8.2 नारायणलाल पुत्र स्व मुकनाराम 8.3 गुलाबराम पुत्र स्व मुकनाराम 8.4 नाथी देवी धर्मपत्नि स्व. मुकनाराम, जातिगण मारू कुम्हार, निवासीगण ग्राम बालराई, तहसील रानी, 8.5 लीला पुत्री स्व. मुकनाराम, धर्मपत्नि मदनलाल जाति मारू कुम्हार निवासी ग्राम लापौद तहसील सुमेरपुर, जिला पाली 8.6 मंजु पुत्री स्व. मुकनाराम, धर्मपत्नि भूराराम जाति मारू कुम्हार निवासी गुडिया इन्दरपुरा, तहसील सुमेरपुर, 8.7 घीसी पुत्री स्व मुकनाराम धर्मपत्नि जीवाराम, जाति मारू कुम्हार, निवासी ग्राम बिरामी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली 9. राजस्थान सरकार(भुमिधारी) जरिये तहसीलदार रानी, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपस्थिति–

1. श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री दौलत मकवाना विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01 से 06 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.04.22

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 06 की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही होने के संबध में प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की अपील खारिज कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की नकल वकील अपीलाण्ट को दिलाई गई। वकील अपीलाण्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 28.06.2021 को प्रस्तुत की है। जैर अपील म्युटेशन सख्या 363 रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 06.04.1985 की पालना में स्वीकत किया गया है जो बेचाणनामा खसरा नम्बर 181/1 रकबा 12 बीघा एवं खसरा नम्बर 181/2 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी भुमि के खातेदार अचलदास पुत्र श्री अनोपदास कौम ओसवाल द्वारा क्रेतागण सोहनलाल वगैरा के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाणनामा की पालना में भरा एवं स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी खसरा नम्बर 181/3 का खातेदार है। अपीलाण्ट सविया उर्फ सवाराम नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 02.09.1985 के खसरा नम्बर 181/1 व 181/2 का ना तो खातेदार है न ही सह खातेदार और ना ही जैर अपील में वर्णित बेचाणनामों में क्रेता या बेचाणकर्ता है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 363 के विरूद्व हस्तगत अपील पेश करने की अपीलार्थी को लोकस स्टेण्डाई नही है। अपीलार्थी सविया उर्फ सवाराम ने मात्र गलत तरमीम होने का हवाला देते हुए हस्तगत अपील की है। उक्त विवाद्यक जैर अपील म्युटेशन को निरस्त करने या कायम रखने का विनिश्चय नही किया जा सकता है, इस हेतु विधि में विशिष्ठ प्रावधान विद्यमान है, जिसके लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जा सकती है। अपीलार्थी ने उपखण्ड न्यायालय रानी के समक्ष दावा पेश कर दिया है जो विचाराधीन है। यह जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 363 अलग–अलग चार रजिस्टर्ड बेचाणनामों की पालना में स्वीकृत किया गया है जिन रजिस्टर्ड बेचाणनामों के कायम रहते उनकी पालना में स्वीकृत अपील नामान्तरकरण विधि अनुसार निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2021 (1) पेज 19(SC), आर0आर0टी0 2020 (2) पेज 1078, आर0आर0टी0 2020 (2) पेज 828, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1222 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन करते हुए रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही होने के संबध में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट नामान्तरकरण संख्या 363 में व्यथित पक्षकार है, क्योंकि उक्त आराजी के मूल खसरा 181 है, जिसके बट्टा नम्बर से 10 खसरे बने हुए है जिसके खसरा नम्बर 181/3 का अपीलाण्ट खातेदार है। अपीलाण्ट ग्राम मौजा बालराई तंहसील रानी के खसरा नम्बर 181/3 का खातेदार टिनेन्स है एवं वक्त आवंटन से खसरा नम्बर 181/3 की तरमीम खसरा नम्बर 178 से चिपते हुए तरमीम की गई थी एवं उसी जगह कब्जा सुपुर्द किया गया था, तब से लगातार अपीलाण्ट का कब्जा है, लेकिन राजस्व अधिकारियों से मिलावट करते हुए तत्कालिन खरीददार ने हाल ही सेगरीगेशन के दौरान खसरान नम्बर 181/1 की तरमीम अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि खसरा नम्बर 181/3 की जगह तरमीम कर दी गई है, जो गलत है, जिस गलत तरमीम को चुनौती देना अपीलाण्ट के लिए आवश्यक था, क्योंकि उक्त गलत तरमीम की वजह से अपीलाण्ट के हक–अधिकार प्रभावित हो रहे है जिस बेचाणनामों में राजस्व भुमि खसरा नम्बर 181/1 व 181/2 का किसी भी रूप से उल्लेख

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नही होते हुए भी खसरा नम्बर नम्बर 181/1 व 181/2 का बेचाणनामों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 363 स्वीकृत किया गया है वह विधिपूर्ण नही है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में अवैध तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उसको अपने हक अधिकारों से वचिंत करने की दुर्भावना से मौका एवं बेचाणनामा के साथ सलंग्न नजरी नक्शा के विपरित तरमीम की गई है, जो राजस्व रेकर्ड को प्रथम दृष्टया ही प्रभावित करती है इस तरह ऐसे त्रृटिपुर्ण नामान्तरकरण खारिज योग्य है। अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही होने के संबध के तहत प्रार्थना पत्र उस स्थिति में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नही हो। वर्तमान में अपील विचाराधीन है, प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को अपील की मेरीट के समय देखा जाना है। अतः रेस्पोडेन्ट का लोकस स्टेण्डाई नही होने के संबध प्रार्थना पत्र खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तहत हस्तगत अपील को खारिज कराने का निवेदन किया है। प्रकरण में विधिक स्थिति यह बनती है कि क्या अपीलाण्ट इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिसको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार हो, इस विधिक स्थिति के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख एवं दस्तावेजात अनुसार अपीलार्थी खसरा नम्बर 181/3 का खातेदार है। अपीलाण्ट सविया उर्फ सवाराम नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 02.09.1985 के खसरा नम्बर 181/1 व 181/2 का ना तो खातेदार है न ही सह खातेदार और ना ही जैर अपील में वर्णित बेचाणनामों में क्रेता या विक्रेता है, जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 363 के विरूद्व हस्तगत अपील पेश करने की अपीलार्थी को लोकस स्टेण्डाई नही है। अपीलांट द्वारा जिस नामान्तरकरण को चुनौति दी गई है उससे अपीलांट के हित प्रभावित होने के संबंध में कोई ठोस कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में विशिष्ठ रूप से तरमीम कार्यवाही से शिकवा होना अंकित किया है यदि तथाकथित रूप से इन तरमीम को नामान्तरकरण के विपरित माना भी जावे, ऐसा प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है एवं न ही नामान्तरकरण की पुस्त पर नजरी नक्शा अथवा प्रस्तावित तरमीम अंकित है। इससे इन तथ्यों की पुष्टि नही होती है कि मौके एवं राजस्व रेकर्ड में स्थित तरमीम में भिन्नता हो। विधिक प्रावधानों के अनुसार भी नामान्तरकरण अपील की आड़ मे तरमीम दुरूस्तीकरण का अनुतोष भी प्रदान नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधिक रूप से भी उक्त नामान्तरकरण से अपीलांट के हकूक प्रभावित होना साबित नही होता है जो अपील की Locus Standi को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

परिणाम स्वरूप रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट को प्रकरण की Locus Standi नही होने के कारण अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

निर्णय आज दिनांक 22.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली